राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांकः प.8(2)(2)निर्वा/2018/7405 जयपुर, दिनांकः 11.10.2018

प्रेषकः मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषितिः समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलेक्टर्स), राजस्थान।

विषयः विधानसभा आम चुनाव, 2018– सम्पत्ति का विरूपण एवं चुनाव अभियान बाबत।

प्रसंगः भारत निर्वाचन आयोग का पत्र (i) क्रमांक 3/7/2008/JS-II दिनांक 07–10–2008, (ii) क्रमांक 3/7/2008/JS-II दिनांक 10–11–2008, (iii) क्रमांक 464/INST/2009/EPS दिनांक 18.03.09, (iv) क्रमांक 3/7/2014/SDR दिनांक 11.03.2014 (v) क्रमांक 3/7/2014/SDR दिनांक 26.09.2014 (vi) क्रमांक 3/9/2015/SDR दिनांक 09.10.2015 (vii) क्रमांक 437/6/INST/2015-CCS दिनांक 29.12.2015 (viii) क्रमांक 4/LET/ECI/FUNC/JUD/SDR/2016 दिनांक 25.07.2016 (ix) क्रमांक 509/241/ECI/LET/FUNC/JUD/RCC/2011/700-878 दिनांक 20.04.2018 (x) क्रमांक 3/8/2018/SDR/VOL.1 दिनांक 05.09.2018 एवं (xi) क्रमांक 437/6/1/ECI/INST/FUNCT/MCC/2018 दिनांक 06.10.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आगामी विधानसभा आम चुनाव के लिये चुनाव प्रचार अभियान के दौरान राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों, व्यक्तियों एवं संगठनों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक/निजी स्थलों, मैदानों, वाहनों आदि पर प्रचार सामग्री प्रदर्शित किया जाना संभावित है। चुनाव प्रचार सामग्री किस–किस प्रकार की और कहां–कहां पर लगाई जा सकती है, इस संबंध में मार्गदर्शन चाहे जाते हैं। चुनाव अभियान के दौरान लगाई जाने वाली चुनाव प्रचार सामग्री के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के साथ–साथ स्थानीय विधि की पालना किया जाना आवश्यक है। इस विषय में भारत निर्वाचन आयोग के प्रासंगिक निर्देशों तथा राजस्थान में लागू स्थानीय विधि यानि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के अध्याय 12–क के प्रावधानों के दृष्टिगत निम्नानुसार समग्र स्थिति अवगत करायी जा रही है, जिसके अनुसार कार्यवाही की जावेः–

2. शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक सम्पति का प्रचार हेतु उपयोग–

2.1 स्थानीय नगर पालिका संस्था द्वारा चिन्हित स्थलों पर होर्डिंग्स आदि विज्ञापन लगाये जाते हैं। ऐसे चिन्हित विज्ञापन स्थल प्रायः नगर पालिका संस्थाओं द्वारा किराये पर किसी निजी कम्पनी/संस्था को दे दिये जाते है। इस संदर्भ में राज्य के शहरी क्षेत्रों में सम्पत्ति विरूपण की रोकथाम से संबंधित कानूनी प्रावधान राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (दिनांक 02.02.2018 की अधिसूचना से संशोधित) के अध्याय 12–क में बताये गये हैं। विज्ञापन स्थलों के चिन्हिकरण एवं इनके उपयोग

आदि के संबंध में नगरपालिका संस्थाओं द्वारा उप–विधियाँ (Bye-Laws) भी बनायी हुयी हैं।

2.2 पूर्व में राज्य के शहरी क्षेत्रों में राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2006 दिनांक 17.1.06 से लागू किया गया था जिसे राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2017 के द्वारा विलोपित करते हुए इसके प्रावधानों को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के नये अध्याय 12–क के रूप में जोड़ा गया है जिसकी अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02.02.2018 को प्रकाशित हुई है। सुलभ संदर्भ के लिये इसकी प्रति संलग्न है।

2.3. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (यथा संशोधित) की धारा 297–G के अंतर्गत उक्त अध्याय 12–क के प्रावधानों को अन्य प्रचलित अधिनियमों पर अध्यारोही (override) बनाया गया है। संशोधित नगरपालिका अधिनियम की धारा 297–H(a) के तहत "विरूपण" (defacement) शब्द की परिभाषा निम्न प्रकार है:–

"defacement" includes impairing or interfering with the appearance or beauty, damaging disfiguring spoiling or injuring in any way whatsoever and the word "deface" shall be construed accordingly"

2.4 राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत नगर पालिका संस्थाओं के द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर विज्ञापन प्रदर्शन किये जाने के संबंध में राज्य सरकार के अनुमोदन के बाद राजपत्र में प्रकाशित करते हुए उप विधियाँ (bye-laws) बनायी जा सकती है। इन उप विधियों के अनुसार इलेक्ट्रोनिक डिस्पले, यूनीपोल पर विज्ञापन, फुट ओवर ब्रिज विज्ञापन, गेन्ट्री विज्ञापन आदि प्रकार के विज्ञापन एक विहित प्रक्रिया के तहत निर्दिष्ट स्थानों पर प्रदर्शित किये जाने की अनुमति देने का प्रावधान किया हुआ है।

2.5 इस प्रकार नगरपालिका अधिनियम की धारा 297–H(a) के अन्तर्गत परिभाषित "विरूपण" के अनुसार जिन–जिन कृत्यों को सम्पत्ति को विरूपित करना माना गया है उनमें निम्न कृत्य शामिल नहीं है :–

(i) नगरपालिका संस्था द्वारा विज्ञापन उपविधियों के तहत बनाये गये विज्ञापन पट्ट, यूनी पोल्स आदि क्योंकि इन्हें जिस प्रयोजनार्थ बनाया गया है उसी प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जाना इनके स्वरूप या सौन्दर्य का ह्रास करना नहीं माना जा सकता।

(ii) नगरपालिका संस्था द्वारा निर्धारित स्थानों पर विज्ञापन उपविधियों के तहत स्वीकृत लाईसेन्सधारी द्वारा या उसकी स्वीकृति से लगाये गये पोस्टर, बैनर आदि।

2.6 नगरपालिका अधिनियम की धारा 297–H के खंड (b) के अनुसार सम्पत्ति को परिभाषित किया गया है, जिसमें निजी सम्पत्ति भी शामिल है। निजी सम्पत्ति पर

मालिक या अधिभोगी की लिखित स्वीकृति से अस्थाई रूप से बैनर या झण्डे लगाना अधिनियम, 2006 की धारा 297–H के खंड (a) में परिभाषित "विरूपण" की परिभाषा में नहीं आता है, अतः शहरी क्षेत्र में निजी सम्पत्ति पर मालिक या अधिभोगी की लिखित स्वीकृति से बैनर या झण्डे लगाना उक्त अध्याय 12–क के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित नहीं है।

2.7 सार्वजनिक स्थानों पर लगे ऐसे चिन्हित विज्ञापन स्थलों पर कोई विशिष्ट राजनीतिक दल अथवा अभ्यर्थी एकाधिकार नहीं कर सकें एवं सभी को समान अवसर प्राप्त हो, इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग ने अपने प्रासंगिक पत्र दिनांक 07.10.2008 के पैरा 4 में दिशा–निर्देश जारी किये गये है, जो सुलभ संदर्भ के लिए निम्नानुसार उद्धृत है :–

"(a) No wall writing, pasting of posters/papers or defacement in any other form, or erecting/displaying of cutouts, hoardings, banners flags etc. shall be permitted on any Government premise (including civil structures therein). For this purpose a Government premise would include any Govt. office and the campus wherein the office building is situated.

(b) If the local law expressly permits or provides for writing of slogans, displaying posters, etc., or erecting cut-outs, hoardings, banners, political advertisement, etc., in any public place, (as against a Govt. premise) on payment or otherwise, this may be allowed strictly in accordance with the relevant provisions of the law and subject to Court orders, if any on this subject. It should be ensured that any such place is not dominated/monopolized by any particular party(ies) or candidate(s). All parties and candidates should be provided equal opportunity in this regard.

(c) If there is a specifically earmarked place provided for displaying advertisements in a public place, e.g. bill boards, hoardings etc. and if such space is already let out to any agency for further allocation to individual clients, the District Election Officer through the municipal authority concerned, if any, should ensure that all political parties and candidates get equitable opportunity to have access to such advertisement space for election related advertisements during the election period."

2.8 आयोग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 29.12.2015 से यह भी स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) के परिसरों एवं भवनों को भी राजनैतिक विज्ञापनों को प्रदर्शित करने के प्रयोजन से राजकीय परिसरों एवं भवनों के समान ही माना जायेगा।

2.9 संदर्भित पत्र दिनांक 07.10.2008 के अनुसार राजकीय सम्पत्ति, सार्वजनिक स्थलों एवं निजी सम्पत्तियों पर राजनैतिक विज्ञापन लगाये जाने के संबंध में प्रतिबंधात्मक निर्देश हैं, जिसके क्रम में आयोग के पत्र क्रमांक 437/6/1/ECI/INST/FUNCT/MCC/2018 दिनांक 06.10.2018 के द्वारा राजकीय सम्पत्ति से 24 घण्टे के भीतर पोस्टर/कट आउट/होर्डिंग/बैनर इत्यादि को हटाने के लिये निर्देश दिये हैं,

सार्वजनिक स्थलों से इन्हें 48 घण्टे के भीतर हटाने के लिये निर्देश दिये हैं और निजी सम्पत्ति पर अवैध रूप से लगे हुए होर्डिंग्स को 72 घण्टे में हटाने के निर्देश दिये हैं। इन निर्देशों की पालना कर ली गई होगी। यह भी सुनिश्चित किया जावे कि भविष्य में आचार संहिता प्रभावी रहने के दौरान इन निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जावे।

2.10 प्रासंगिक पत्र दिनांक 20.04.2018 के पैरा 4 में राजनैतिक विज्ञापनों के लिये स्थल चिन्हित करने और इनको समान अवसर के आधार पर आवंटित करने से संबंधित निर्देश हैं, जो निम्न प्रकार हैं :–

> "4 Certain areas must be demarcated by every Muinicipal Body/Panchayat and specifically designated for graffiti, wall writing, pasting of posters or display of cut-outs and such an area shall be allowed to be used in a equitable manner. Moreover, it should be the responsibility of the political parties or candidates to remove the campaign material after election. "

2.11 भारत निर्वाचन आयोग के उक्त परिपत्र दिनांक 07.10.2008 के पैरा 4 तथा परिपत्र दिनांक 20.04.2018 के पैरा 4 में दिये गये दिशा निर्देशों से स्पष्ट है कि चुनाव प्रचार हेतु सभी राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को विज्ञापन स्थलों का उपयोग करने का समान अवसर प्राप्त होना चाहिये जिसके लिये समुचित कार्यवाही जिला निर्वाचन अधिकारी के पर्यवेक्षण में की जायेगी।

2.12. अतः चुनाव प्रचार के लिए सभी राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को चिन्हित विज्ञापन स्थलों को उपयोग करने का समान अवसर उपलब्ध कराने और आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के विपरीत विज्ञापन सामग्री के प्रदर्शन को नियंत्रित करने के प्रयोजन से निम्नांकित कार्यवाही करने हेतु निर्देश जारी किये जाते है :–

(i) नगरपालिका की अनुबंधित संबंधित फर्म द्वारा चुनाव संबंधी विज्ञापनों के लिए जिले मेंचिन्हित किए गए **विज्ञापन स्थलों की सूची** एवं उनमें प्रत्येक के लिए अनुबंधित फर्म द्वारा **निर्धारित की हुई दरों की सूची** संबंधित नगरपालिका संस्था के माध्यम से संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी अविलम्ब प्राप्त करेंगे तथा इस सूची के पश्चात् अब कोई अन्य विज्ञापन स्थल अनुबंधित फर्म अथवा नगरपालिका संस्था द्वारा चिन्हित नहीं किया जाएगा और न हीं दी गई दरों में कोई परिवर्तन किया जाएगा।

(ii) नामांकन कार्यवाही दिनांक 12.11.2018 से प्रारम्भ होगी और चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की स्थिति दिनांक 22.11.2018 को स्पष्ट हो सकेगी, अतः अभ्यर्थिता वापिस लेने की तिथि से पूर्व यदि कोई राजनीतिक दल या संस्था/संगठन चुनाव संबंधी विज्ञापनों के लिए चिन्हित किसी विज्ञापन स्थल पर अपना विज्ञापन प्रदर्शित करना चाहे तो उसकी अनुमति जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा गठित समिति की अनुशंषा के आधार पर अभ्यर्थिता वापिस लेने की तिथि 22.11.2018 तक के लिए ही दी जायेगी।

(iii) चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार होन के दिन दिनाक 22.11.2018 को सांयकाल में 5.00 बजे के पश्चात् किसी समय यथाशीघ्र चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की एक बैठक जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बुलाई जायेगी। उक्त बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी जिले में उक्त चिन्हित विज्ञापन स्थलों की सूची की प्रति संभी अभ्यर्थियों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराते हुए उनसे अपेक्षा करेंगे कि अभ्यर्थी या उनका राजनैतिक दल कौन–कौन से विज्ञापन स्थलों का उपयोग करना चाहते है। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आदर्श आचार संहिता के दृष्टिगत जानकारी दी जायेगी कि किस प्रकार की विज्ञापन सामग्री प्रदर्शित करना निषिद्ध है।

(iv) उक्त खंड (iii) के अनुसार आयोजित बैठक के आगामी दिवस को 3.00 बजे अपरान्ह तक उक्त अभ्यर्थीचिन्हित् विज्ञापन स्थलों को उपयोग करने हेतु आवेदन संबंधित जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी को कर सकेंगे। विज्ञापन स्थल का किराया अनुबंधित फर्म द्वारा पूर्व में अवगत कराई गई दरों के अनुसार ही देय होगा और यदि किन्हीं विज्ञापन स्थलों का किराया नगर पालिका द्वारा निर्धारित किया जाता है तो उन विज्ञापन स्थलों का किराया भी पूर्व निर्धारित दर के अनुसार ही देय होगा।

(v) उक्त खंड (iv)के अनुसार प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा जिले में विज्ञापन स्थलों के आवंटन की अनुशंषा की जायेगी। अन्तिम निर्णय संबंधित जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जायेगा और जिसके अनुरूप ही नगर पालिका संस्था द्वारा विज्ञापन स्थलों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की अनुमति दी जायेगी।

(vi) यदि चिन्हित विज्ञापन स्थलों की संख्या अधिक है, और प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या कम है तो आवेदक द्वारा चाहा गया विज्ञापन स्थल आवंटित किया जायेगा। यदि किसी विशेष विज्ञापन स्थल के लिये एक से अधिक आवेदन पत्र है तो लाटरी के जरिये आवंटन किया जायेगा।

(vii) यदि विज्ञापन स्थलों की संख्या से अधिक मात्रा में विज्ञापन स्थल आवंटन करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होते है तो राजनीतिक दल या अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों के आधार पर आनुपातिक मात्रा में विज्ञापन स्थल आवंटित किये जायेंगे।

(viii) उपरोक्त प्रकार से किये गये आवंटन के पश्चात् यदि कोई विज्ञापन स्थल शेष बचता है तो First Come First सिद्वान्त के आधार पर राजनीतिक दल या अभ्यर्थी या संस्था या व्यक्ति को समिति की अनुशंषा के आधार पर आवंटन किया जायेगा।

(ix) उपरोक्त सभी आवंटनों में यह शर्त भी होगी कि विज्ञापनों में प्रदर्शित पोस्टर या पम्पलेट पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127–क के

अन्तर्गत अपेक्षित मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम तथा पता आवश्यक रूप से मुद्रित होगा अन्यथा उसे हटा दिया जायेगा। यदि जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा किसी राजनैतिक दल/अभ्यर्थी/व्यक्ति या संगठन द्वारा लगाये गये होर्डिंग्स के Text/ सामग्री को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है तो वह इसकी फोटो लेकर निर्वाचन विभाग को तत्काल रैफर करेगा ताकि ऐसे होर्डिंग्स को लगाये रखना है या नहीं इस संबंध में आयोग से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सके।

(x) चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार होने से पूर्व के चरण में राजनैतिक दलों द्वारा उक्त खण्ड (ii) के अनुसार अपने दल के चुनाव प्रचार हेतु विज्ञापन स्थल चाहे जाने पर इनके आवंटन के लिएउक्त खंड (iii) से (ix) में बतायी गयी प्रक्रिया अपनाई जावें और तद्नुसार विभिन्न राजनैतिक दलों को जिले में उपलब्ध पूर्व चिन्हित यूनीपोल, होर्डिंग्स, ओवर हैड गैन्ट्री आदि की साइट्स पूर्व निर्धारित दरों पर उपलब्ध कराने हेतु आवंटित की जावेगी। इस हेतु राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक तुरन्त आयोजित कर उनसे आवेदन प्राप्त कर लिये जावें।

2.13. कोई भी राजनैतिक विज्ञापन जो चुनाव प्रचार के दौरान यानि आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात् किसी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी के पक्ष में या विपक्ष में प्रदर्शित किया जाता है उसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127–क के अन्तर्गत निर्वाचन पोस्टर, पम्पलेट आदि की श्रेणी में माना जायेगा।

3. ग्रामीण क्षेत्र में विज्ञापनों का प्रदर्शन –

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पति के विरूपण के संबंध में कोई कानून नहीं है। इस संबंध में आपका ध्यान निर्वाचन विभाग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 07.10.2013 के पैरा 3 एवं 4 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें स्पष्ट किया जा चुका है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पति के विरूपण के संबंध में राज्य में कोई कानून निर्मित नहीं होने के कारण भारत निर्वाचन आयोग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 07.10.08 के पैरा 4 एवं 5 के प्रावधान लागू होंगे।

(ii) भारत निर्वाचन आयोग ने अपने प्रासंगिक पत्र दिनांक 10.11.2008 के द्वारा निजी सम्पतियों के संबंध में इसी बिन्दु को पुनः स्पष्ट किया है, जो निम्न प्रकार है:–

"In States where there is no Law on defacement of private property, as per the Commission's instructions, temporary and easily removable campaign material such as flags and banners would be permitted with the written permission of the owner/occupant of the property. The permission should be a voluntary one, and copy of the written permission obtained is to be submitted to the Returning Officers concerned."

(iii) आयोग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 20.04.2018 के पैरा 4 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में भी राजनैतिक विज्ञापनों को प्रदर्शित करने के अवसर हेतु स्थल चिन्हित करने

और उनको समान आधार पर आवंटित करने से संबंधित निर्देश है, जिन्ह इस पत्र के पैरा 2.10 पर उद्धृत किया जा चुका है।

(iv) जहां तक ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर विज्ञापन सामग्री लगाये जाने का प्रश्न है इस संबंध में आयोग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 07.10.2008 के पैरा 4 के खंड (a) एवं खंड (c) के प्रावधान ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू माने जायेंगे, जो निम्न प्रकार है:–

DEFACEMENT OF PUBLIC PLACES

(v) 4. (a) No wall writing, pasting of posters/papers or defacement in any other form, or erecting/displaying of cutouts, hoardings, banners flags etc. shall be permitted on any Government premise (including civil structures therein). For this purpose a Government premise would include any Govt. office and the campus wherein the office building is situated.

(c) If there is a specifically earmarked place provided for displaying advertisements in a public place, e.g. bill boards, hoardings etc.and if such space is already let out to any agency for further allocation to individual clients, the District Election Officer through the municipal authority concerned, if any, should ensure that all political parties and candidates get equitable opportunity to have access to suchadvertisement space for election related advertisements during the election period.

(v) सार्वजनिक स्थलों पर राजनैतिक दलों/अभ्यर्थियों द्वारा विज्ञापनों के लगाये जाने हेतु उन्हें समान अवसर देने संबंधी प्रकिया इस पत्र के उपरोक्त पैरा 2.12 में बताई गई है, वह प्रकिया ग्रामीण क्षेत्रों के सार्वजनिक स्थलों के संबंध में भी अपनाई जा सकती है।

4. निजी सम्पति पर विज्ञापनों का प्रदर्शन–

4.1 जैसा कि इस परिपत्र के पैरा 2.6 में स्पष्ट किया जा चुका है शहरी क्षेत्रों में निजी सम्पति पर भी विज्ञापन नगरपालिका अधिनियम के अध्याय 12–क के अन्तर्गत प्रतिबंधित है लेकिन निजी सम्पति पर मालिक या अधिभोगी की लिखित स्वीकृति से केवल बैनर या झंडें लगाये जा सकते हैं। मालिक या अधिभोगी की लिखित स्वीकृति के बाद लगाये जाने वाले बैनर या झंडें के खर्चे सहित पूर्ण विवरण एवं लिखित सहमति की प्रति संबंधित अभ्यर्थी के द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को 3 दिन के भीतर प्रस्तुत करनी होगी। जैसा कि आयोग के प्रासंगिक पत्र 07.10.2008 के पैरा 5 में विस्तृत रूप से स्पष्ट किया हुआ है।

4.2 जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों का संबंध है, इस संबंध में राज्य में कोई कानून बनाया हुआ नहीं है लेकिन आयोग के निर्देशों के अनुसार निजी सम्पति के मालिकों या अधिभोगियों की लिखित अनुमति से ऐसी सामग्री जो आसानी से हटाई जा सकती हो, यथा झंडें और बैनर, लगाये जा सकते हैं। आयोग के परिपत्र दिनांक 07.10. 2008 के पैरा 5 के अनुसार ऐसी लिखित सहमति की प्रति के साथ ब्यौरा निर्धारित

प्रपत्र में रिटर्निंग अधिकारी को 3 दिन के भीतर संबंधित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

5. **वाहनों पर प्रचार सामग्री का प्रदर्शन –**

5.1 चुनाव प्रचार अभियान के दौरान वाहनों पर लगाये जाने वाले स्टीकर, झण्डे, बैनर के संबंध में भी आयोग ने प्रासंगिक पत्र दिनांक 07.10.2008 के पैरा 8(a) एवं 8(b) में निर्देश दिये है। उक्त पत्र के पैरा 8(a) के अनुसार मोटरयान अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों तथा न्यायिक आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन रहते हुए निजी वाहन स्वामी अपने वाहन पर अपनी पसंद (volition) से किसी दल या अभ्यर्थी का झंडा और स्टीकर लगाता है और साथ ही इससे यदि राहगीरों को उद्विग्नता अथवा असुविधा नहीं होती हो, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति, अभ्यर्थी की अनुमति लिये बिना, अपने वाहन पर झंडे तथा स्टीकर इस प्रकार से लगाता है जिससे किसी अभ्यर्थी विशेष के पक्ष में मत याचना का उद्देश्य स्पष्ट होता है तो ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171–एच आई.पी.सी. के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

5.2 अभ्यर्थी द्वारा प्रचार के प्रयोजन से लिये गये तथा प्रयोग में लिये गये उसके व्यक्तिगत वाहन को प्रचार वाहन माना जायेगा तथा बाजार दर से ईंधन पर अनुमानित व्यय तथा चालक का वेतन अभ्यर्थी के व्यय–लेखे में शामिल किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा लिये गये अन्य वाहनों का प्रयोग प्रचार के प्रयोजन से किया जाता है तो इस प्रकार के वाहनों को किराये पर लेने के लिए अधिसूचित दर के अनुसार अनुमानित व्यय अभ्यर्थी के व्यय में शामिल किया जायेगा।(आयोग का परिपत्र क्रमांक 76/अनुदेश/2011/ई.ई.एम. दिनांक 07.04.2011)

5.3 वाणिज्यिक वाहनों पर झंडें या स्टीकर लगाने पर उसे प्रचार के उपयोग में लाना माना जायेगा।अतः वाणिज्यिक वाहनों पर झंडे, स्टीकर आदि लगाये जाने की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि उस वाहन का चुनाव प्रचार अभियान के लिए अपेक्षित अनुमति (Permit) जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा रिटर्निंग अधिकारी से प्राप्त नहीं कर लिया गया हो। ऐसे मामलों में उस वाहन का मूल Permit वाहन के wind screen पर प्रदर्शित करना आवश्यक है।

5.4 मोटरयान अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए वाहनों में लाउडस्पीकर सक्षम अधिकारी से विधिवत् अनुमति प्राप्त कर लगाये जा सकते हैं। विशेष प्रचार वाहन जैसे विडियो–रथ आदि सक्षम अधिकारी से विधिवत् अनुमति प्राप्त कर उपयोग में लिये जा सकते हैं।

5.5 इसी क्रम में आयोग ने प्रासंगिक पत्र दिनांक 07.10.2008 के पैरा 8 में आयोग ने अपने परिपत्र क्रमांक 464/KT-LA/2013 दिनांक 02.05.2013 के द्वारा खंड (d) जोड़ते हुए निम्नांकित प्रावधान किये है :–

"8(d) During election period, Road Transport Authorities, in consultation with police authorities, should take a policy decision under the Motor Vehicle Act whether or not to

allow fitting of loud speakers on campaign vehicle. This policy decision should be communicated to all Returning Officers by the Transport Authorities. Based on this policy decision, Returning Officers may, if permitted by the Transport Authorities, grant permission for fitting of loud speakers on campaign vehicles with a stipulation that such speakers should not violate the provisions of Noise Pollution Rules or any other provisions in their State Laws".

5.6 भारत निर्वाचन आयोग के उक्त परिपत्र दिनांक 02.05.2013 के अनुसरण में परिवहन विभाग ने अपने पत्र क्रमांक प.7(185)परि./नियम/मु./98/34625 दिनांक 09.10.2013 के द्वारा विभाग के निम्नांकित निर्णय से अवगत कराया है:–

"चूंकि मोटर यान अधिनियम 1988 तथा इसके अधीन निर्मित मोटर यान अधिनियम एवं नियमों में यानों पर ध्वनि विस्तारण यंत्र/उपकरण लगाने को स्पष्ट रूप से निषेध नहीं किया गया है। अतः उक्त अधिनियम/नियमों के अन्य प्रावधानों, Noise Poilution (Regulation and Control) Rules, 2000 में उपलब्ध, विशेषतः यानों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र/उपकरण लगाने से संबंधित प्रावधानों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में सिविल अपील संख्या 3735/2005 में पारित निर्णय दिनांक 28.10.2005 में प्रदत्त निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करते हुए, राजस्थान राज्य में होने वाले चुनावों के दौरान, चुनाव कार्य के प्रयोजनार्थ वाहनों पर लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति प्रदान की जा सकती है।"

5.7 अतः निर्वाचन आयोग के उपरोक्त दिशा–निर्देशों एवं परिवहन विभाग द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के अनुसार वाहनों पर लाउडस्पीकर एवं अन्य उपकरण लगाये जाने की अनुमति दी जा सकती है।

5.8 जहाँ तक चुनाव प्रचार के वाहनों में External Modification का प्रश्न है, ऐसे मामलों में परिवहन विभाग के सक्षम अधिकारी की अनापत्ति लेकर अनुमति दी जा सकती है। परिवहन विभाग का सक्षम अधिकारी मोटरयान अधिनियम एवं इसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुज्ञेय मानकों की सीमा के दृष्टिगत External Modification की अनुमति दे सकता हैं। वाहनों के आकार में परिवर्तन (Modification) कर उनको चुनाव प्रचार में उपयोग में लाये जाने के सबंध में भारत निर्वाचन आयोग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 07.10.2008 के प्रावधान निम्न प्रकार से है :–

"External modification of vehicles including fitting of Loudspeaker thereon, would be subject to the provisions of the Motor Vehicles Act/Rules and any other Local Act/Rules. Vehicles with modifications and special campaign vehicles like Video Rath etc., can be used only after obtaining the requisite permission from the competent authorities under the Motor Vehicles Act."

5.9 लाउड स्पीकरों का उपयोग रात के 10 बजे से प्रातः 6 बजे के बीच निषिद्ध किया हुआ है, अतः वाहनों पर स्वीकृति लेकर लगाये गये लाउड स्पीकरों का उपयोग भी इस निषिद्ध अवधि में नहीं किया जा सकेगा।

6. अन्य बिन्दु –

6.1. आयोग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 26.09.2014 के द्वारा निर्देश दिये है कि राज्य पथ परिवहन निगम की बसों तथा अन्य राजकीय वाहनों को आदर्श आचार संहिता के

प्रभावी रहने के दौरान, राजनैतिक विज्ञापनों का प्रदर्शन करने के उपयोग में नहीं लाया जा सकता।

6.2 रैलियों, जुलूसों, सभाओं के दौरान झंडों, बैनरों, कटआउट्स स्थानीय विधि और प्रतिबंधात्मक आदेशों के अध्यधीन लगाये जा सकते हैं। जुलूसों में राजनैतिक दलों द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली टोपी, मास्क, स्कार्फ आदि का उपयोग किये जाने की अनुमति है लेकिन राजनैतिक दलों या अभ्यर्थी द्वारा साड़ी, कमीज आदि परिधान वितरित नहीं किये जा सकते हैं।

6.3 सरकारी/स्थानीय निकाय/उपक्रमों/सहकारी संस्थाओं के मीटिंग स्थलों/ ऑडिटोरियम/हॉल्स आदि का उपयोग राजनैतिक सभाओं के लिए किया जा सकता है बशर्ते कि ऐसा उपयोग किया जाना किसी विधि या पूर्व में जारी दिशा–निर्देशों से प्रतिबंधित नहीं हो। इनका उपयोग सभी राजनैतिक दलों या अभ्यर्थियों द्वारा समानता के आधार पर किया जायेगा और किसी दल या अभ्यर्थी द्वारा इन पर एकाधिकार नहीं किया जा सकेगा। इन स्थलों पर सभाओं के दौरान बैनर फलैग्स, कटआउट्स आदि आसानी से हटाई जाने वाली सामग्री इस्तेमाल की जा सकती है, जिन्हें मीटिंग समाप्त होने के तुरन्त बाद हटा लिया जायेगा। इन स्थलों पर स्थायी या अर्द्धस्थायी श्रेणी की प्रचार सामग्री लगाया जाना पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।

6.4 स्कूलों/शैक्षणिक संस्थाओं के मैदानों का चुनाव प्रचार के लिए मीटिंगों में उपयोग केवल निम्नांकित शर्तो पर ही किया जा सकता है:–

(i) किसी स्कूल या कॉलेज के शैक्षणिक सत्र पर किसी भी स्थिति में विपरीत प्रभाव नहीं पड़ें,

(ii) स्कूल/कॉलेज प्रबंधन को कोई आपत्ति नहीं हो तथा उपखंड अधिकारी से स्कूल/कॉलेज प्रबंधन ने इसके लिए अनुमति प्राप्त कर ली हो,

(iii) "First-come-First Served basis से यह अनुमति दी जायेगी और किसी राजनैतिक दल को इन मैदानों पर एकाधिकार की अनुमति नहीं होगी,

(iv) स्कूल/कॉलेज मैदान का राजनैतिक मीटिंग के लिए आवंटन के संबंध में आयोग के दिशा–निर्देशों का उल्लघंन पर संबंधित उपखंड अधिकारी उत्तरदायी रहेंगे, और

(v) राजनैतिक दल और अभ्यर्थी तथा प्रचारक भी उपरोक्त मापदंडों का पालना करेंगे और इनका उल्लंघन किसी स्थिति में भी नहीं करेंगे।

(vi) इन मैदानों के प्रचार योजनार्थ उपयोग के उपरान्त बिना किसी क्षति के और यदि कोई क्षति हुई है तो इसके समुचित मुआवजे के साथ यदि कोई हो इन्हें संबंधित संस्था को सुपुर्द किया जायेगा। ऐसे किसी मुआवजे के लिए संबंधित राजनैतिक दल उत्तरदायी होगा।

6.5 यदि कोई राजनैतिक दल/संगठन/अभ्यर्थी या व्यक्ति विधि के प्रावधानों के विपरीत अथवा आयोग के उपरोक्त निर्देशों के विपरीत सम्पति का विरूपण करते हुए चुनाव प्रचार सामग्री का उपयोग करता है तो रिटर्निंग अधिकारी/जिला

निर्वाचन अधिकारी ऐसे अतिचारी को उस प्रचार सामग्री का तुरन्त हटान हतु नोटिस जारी करेगा और यदि उत्तरदायी राजनैतिक दल/संगठन/अभ्यर्थी या व्यक्ति इसकी पालना तुरन्त नहीं करता है तो जिला प्रशासन उस प्रचार सामग्री को हटाने की कार्यवाही करेगा तथा इसका खर्चा संबंधित उत्तरदायी राजनैतिक दल/संगठन/अभ्यर्थी या व्यक्ति से वसूल किया जायेगा। इसके अतिरिक्त यह खर्चा भी संबंधित अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में जोड़ा जायेगा। साथ ही विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत ऐसे अतिचारी के विरूद्ध राजस्थान नगरपालिका अधिनियम (संशोधित) के अध्याय 12–क के प्रावधानों तथा सार्वजनिक सम्पति या अन्य की सम्पति को जान–बूझकर क्षति पहुंचाने से रोकथाम से संबंधित कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही भी अमल में लाई जावेगी।

सुलभ संदर्भ के लिए प्रासंगिक पत्रों एवं राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2017 की राजपत्र की प्रति संलग्न है।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

भवदीय,

(आनन्द कुमार)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः प.8(2)(2)निर्वा/2018/7405 जयपुर, दिनांकः 11.10.2018

प्रतिलिपि समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।